

संख्या: E 126543 / 46834- FCD-IRFC/1/2023

प्रेषक,

डॉ० अहमद इकबाल,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज विभाग,
डांडा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 02 जून 2023

विषय:-

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में त्रिस्तरीय पंचायतों को आबद्ध अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त करने के संबंध में।

गहो दय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं-F.15(4)FC-XV/FCD/2020-25, दिनांक: 22.05.2023 के क्रम में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समस्त त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की द्वितीय किस्त कुल ₹131,77,00,000.00 (एक सौ इक्तीस करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में संलग्न विवरणानुसार आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहाय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2022-23 की आबद्ध अनुदान की द्वितीय किश्त हेतु प्राप्त ₹131,77,00 हजार धनराशि निम्न फॉट एवं संलग्न विवरणानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों को अंतरित की जायेगी :-

क्र. सं.	पंचायतीराज संस्था का नाम	आबद्ध अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय किश्त का विवरण (रुँहजार में)
1—	जिला पंचायतें	198000
2—	क्षेत्र पंचायत	132000
3—	ग्राम पंचायतें	987700
योग		1317700

3- उपर्युक्त घनराशि त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की जा रही है:-

1- वित्त अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-132/xxvii(6)/430/ एक/ 2008/2019 दिनांक: 29 मार्च, 2019 द्वारा समस्त शासकीय विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) लागू की गई है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार (1) जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में निदेशक पंचायतीराज द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से बिल तैयार कर संलग्न विवरणानुसार सम्बन्धित पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। (2) ग्राम पंचायतों को अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में निदेशक, पंचायतीराज द्वारा धनराशि संलग्न विवरणानुसार तत्काल सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी। तदोपरान्त जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। उपरोक्त की सूचना वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, पंचायतीराज व जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा धनराशि अपने स्तर पर नहीं रोकी जायेगी। भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों में धनराशि निकायों को अन्तरित कर देनी चाहिए। यदि पंचायतों को धनराशि अन्तरित करने में विलम्ब होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, पंचायतीराज की होगी।

2- भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार निर्दिष्ट अनुदान का उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को कायम रखने और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण के लिए किया जायेगा। स्थानीय निकाय इन निर्दिष्ट अनुदानों को यथा संभव दो महत्वपूर्ण सेवाओं, प्रत्येक के लिए आधा-आधा निर्धारित करेंगे। तथापि यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरी तरह से संतृप्त कर लिया है तो वह दूसरी श्रेणी के लिए धनराशि का उपयोग कर सकता है।

3- शासनादेश संख्या: 381/06/(वि.आ.निदे.)/xxvii(1)/ 2020, दिनांक: 26.05.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संरुतियों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं हेतु निर्धारित बैण्ड के अनुसार अनुदान की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

4- वित्त मंत्रालय के शासनादेश दिनांक: 22.05.2023 के अनुसार राज्य सरकार (राज्य वित्त विभाग) को ग्रान्ट इन एड की धनराशि सीधे त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को बिना किसी कटौती के 10 कार्य दिवसों के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर देनी चाहिए। दस कार्य दिवसों के बाद किसी भी विलम्ब के लिये राज्य सरकार को पिछले वर्ष के बाजार ऋणों/राज्य विकास ऋण पर औसत प्रभावी ब्याज दरों के अनुसार विलम्ब की अवधि के लिए ब्याज सहित अनुदान की धनराशि का भुगतान निकायों को किया जायेगा।

5- 15वें वित्त आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को संस्तुत अनुदान के उपयोग के संबंध में शासनादेश सं0-15(2)FC-XV/FCD/ 2020-25, दिनांक: 14.07.2021 एवं उसके क्रम में जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों, जिसकी प्रति कार्यालय के पत्र संख्या: क्रमशः 60/वि.आ.निदे.(15वाँ वि.आ.)/2020, दिनांक: 02.08.2021 एवं 67/वि.आ.निदे.(15वाँ वि.आ.)/2020, दिनांक: 09.08.2021 द्वारा पूर्व में प्रेषित की गई है, का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जायेगा। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को निर्दिष्ट अनुदान हेतु अवमुक्त धनराशि के संबंध में निर्धारित एनेक्सर-III पर वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- 15वें वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग के संबंध में उक्त दिशा-निर्देशों को पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त दिशा-निर्देशानुसार प्राथमिक/अनिर्दिष्ट अनुदान (Untied Grant) तथा निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज विभाग द्वारा समयबद्ध रूप से यथा-आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

7- अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्थोरमेंट) नियमावली-2017 में निहित प्राविधानों तथा शासन द्वारा गितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

8- जिला पंचायतों के मामले में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा, जिला पंचायतों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र, अध्यक्ष, जिला पंचायत से तथा क्षेत्र पंचायतों के मामले में जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा प्रमुख, क्षेत्र पंचायत से प्रतिहस्ताक्षर कराकर निदेशक, पंचायतीराज को उपलब्ध कराये जायेंगे। ग्राम पंचायतों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा निदेशक, पंचायतीराज को उपलब्ध कराये जायेंगे। निदेशक, पंचायतीराज द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का अपने स्तर पर संकलन एवं परीक्षण कराने के उपरान्त उनको प्रतिहस्ताक्षर कर सभी स्तर के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड /सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण-पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्यों का क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायतवार भौतिक प्रगति तथा व्यय की गई धनराशि) भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

I/126574/2023

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अवमुक्त की जा रही आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की द्वितीय किस्त की धनराशि का जिला पंचायतवार विवरण।

(रुँहजार में)

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की द्वितीय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3
1	अल्मोड़ा	16238
2	बागेश्वर	9660
3	चमोली	16036
4	चम्पावत	6994
5	देहरादून	16088
6	हरिद्वार	29905
7	नैनीताल	10872
8	पौड़ी गढ़वाल	17851
9	पिथौरागढ़	14499
10	रूद्रप्रयाग	8114
11	टिहरी गढ़वाल	16702
12	उधमसिंह नगर	24553
13	उत्तरकाशी	10488
	योग	198000

(रुँउननीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)

Signed by Ahmed Iqbal

Date: 31-05-2023 16:16:08

(डाँ अहमद इकबाल)

अपर सचिव, वित्त।

I/126575/2023

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अवमुक्त की जा रही आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की द्वितीय किश्त की धनराशि का क्षेत्र पंचायतवार विवरण।

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1-अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	1246
	2	ताकुला	1101
	3	धौलादेवी	1525
	4	भैंसियाछाना	839
	5	हवलबाग	1503
	6	लमगड़ा	1339
	7	द्वाराहाट	1430
	8	सल्ट	1293
	9	भिवियासैण	768
	10	ताड़ीखेत	1310
	11	चौखुटियाँ	1122
		योग:-	13476
2-बागेश्वर	1	कपकोट	2287
	2	गरुड़	1541
	3	बागेश्वर	2013
		योग:-	5841
3-चमोली	1	कर्णप्रयाग	1237
	2	जोशीमठ	3184
	3	दशोली	1179
	4	घाट	1196
	5	पोखरी	1070
	6	गैरसैण	1503
	7	धराली	994
	8	देवाल	976
	9	नारायणबगड़	1097
		योग:-	12436
4-चम्पावत	1	लोहाघाट	940
	2	बाराकोट	877
	3	पाटी	1350
	4	चम्पावत	1892
		योग:-	5059
5-देहरादून	1	डोईवाला	1666
	2	रायपुर	498
	3	सहसपुर	1934
	4	विकासनगर	2396
	5	चकराता	1249
	6	कालसी	1089
		योग:-	8832
6-हरिद्वार	1	भगवानपुर	3073

FCD-IRFC/1/2023-FCD-Finance Department

I/126575/2023

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
	2	खानपुर	860
	3	रुड़की	2431
	4	नारसन	3043
	5	लक्सर	2506
	6	बहादुराबाद	4554
		योग:-	16467
7-नैनीताल	1	ओखलकाण्डा	987
	2	भीमताल	747
	3	बेतालघाट	699
	4	हल्द्वानी	1468
	5	रामनगर	1381
	6	रामगढ़	865
	7	कोटाबाग	1021
	8	धारी	533
		योग:-	7701
8-पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	1113
	2	द्वारीखाल	824
	3	दुगड़ा	511
	4	एकेश्वर	620
	5	जयहरीखाल	581
	6	कल्जीखाल	801
	7	खिरसू	755
	8	कोट	890
	9	नैनीडांडा	906
	10	रिखणीखाल	811
	11	थलीसैण	1316
	12	यमकेश्वर	1054
	13	पौड़ी	858
	14	पाबो	969
	15	पोखड़ा	782
		योग:-	12791
9-पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	1740
	2	मुत्ताकोट	1442
	3	कनालीछीना	1418
	4	धारचूला	1571
	5	पिथौरागढ़	1533
	6	डीडीहाट	1240
	7	मुनस्यारी	1661
	8	बेरीनाग	1347
		योग:-	11952
10-रूद्रप्रयाग	1	अगरस्त्यमुनी	2176
	2	जखोली	1697
	3	ऊखीमठ	1290
		योग:-	5163

FCD-IRFC/1/2023-FCD-Finance Department

I/126575/2023

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
11-टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	1042
	2	कीर्तिनगर	1180
	3	चम्बा	1016
	4	देवप्रयाग	1064
	5	भिलंगना	1950
	6	धौलधार	1107
	7	जौनपुर	1435
	8	प्रतापनगर	1293
	9	जाखणीधार	1153
		योग:-	11240
12-ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	2578
	2	सितारगंज	2648
	3	रुद्रपुर	1606
	4	गदरपुर	1941
	5	बाजपुर	2041
	6	काशीपुर	1243
	7	जसपुर	1852
		योग:-	13909
13-उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	1350
	2	डुण्डा	1292
	3	चिन्यालीसौड़	1054
	4	नौगाँव	1479
	5	पुरोला	795
	6	मोरी	1163
		योग:-	7133
		योग:-	132000

(₹ तेरह करोड़ बीस लाख मात्र)

Signed by Ahmed Iqbal

Date: 31-05-2023 16:16:36

(डॉ अहमद इकबाल)

अपर सचिव, वित्त।

FCD-IRFC/1/2023-FCD-Finance Department

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के 1/126576/2023 लिए अवमुक्त की जा रही आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की द्वितीय किस्त की धनराशि का क्षेत्र पंचायतवार विवरण।

(रुहजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की द्वितीय किस्त हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1-अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	94	10013
	2	ताकुला	88	9153
	3	धौलादेवी	110	12370
	4	भैंसियाछाना	53	5560
	5	हवलबाग	125	13416
	6	लमगड़ा	100	10811
	7	द्वाराहाट	119	12631
	8	सल्ट	137	11887
	9	भिकियासैण	99	7880
	10	ताड़ीखेत	129	11486
	11	चौखुटियों	95	9728
		योग:-	1149	114935
2-बागेश्वर	1	कपकोट	119	16878
	2	गरुड़	101	12619
	3	बागेश्वर	182	20877
		योग:-	402	50374
3-चमोली	1	कर्णप्रयाग	94	10623
	2	जोशीमठ	58	8513
	3	दशोली	63	7846
	4	घाट	55	7588
	5	पोखरी	72	8147
	6	गैरसैण	95	11874
	7	थराली	48	5975
	8	देवाल	44	5379
	9	नारायणबगड़	78	8906
		योग:-	607	74851
4-चम्पावत	1	लोहाघाट	66	6708
	2	बाराकोट	48	5372
	3	पाटी	85	9928
	4	चम्पावत	113	13738
		योग:-	312	35746
5-देहरादून	1	डोईवाला	36	11116
	2	रायपुर	35	3454
	3	सहसपुर	50	12671
	4	विकासनगर	53	15371
	5	चकराता	116	10447
	6	कालसी	111	9613
		योग:-	401	62672
6-हरिद्वार	1	भगवानपुर	53	20398

FCD-IRFC/1/2023-FCD-Finance Department

1/126576/2023

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की द्वितीय किस्त हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
	2	खानपुर	23	5690
	3	रुड़की	43	16499
	4	नारसन	58	20450
	5	लक्सर	49	15646
	6	बहादुराबाद	70	30299
		योग-	296	108982
7-नैनीताल	1	ओखलकाण्डा	75	7365
	2	भीमताल	60	5793
	3	बेतालघाट	75	5643
	4	हल्द्वानी	60	10049
	5	रामनगर	53	9169
	6	रामगढ़	59	6083
	7	कोटाबाग	56	7244
	8	धारी	41	3953
		योग-	479	55299
8-पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	97	9557
	2	द्वारीखाल	97	7179
	3	दुमगड़ा	67	4670
	4	एकेश्वर	81	6415
	5	जयहरीखाल	73	5219
	6	कल्जीखाल	87	7232
	7	खिर्सू	50	5046
	8	कोट	69	6999
	9	नैनीडांडा	88	7627
	10	रिखणीखाल	81	6838
	11	थलीसैण	103	10716
	12	यमकेश्वर	86	8239
	13	पौड़ी	63	6300
	14	पाबो	72	7275
	15	पोखड़ा	58	5811
		योग-	1172	105123
9-पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	117	14604
	2	मुनाकोट	76	10292
	3	कनालीछीना	92	11232
	4	धारचूला	62	10434
	5	पिथौरागढ़ (विण)	85	11477
	6	डीडीहाट	71	8800
	7	मुनस्यारी	99	13115
	8	बेरीनाग	84	10097
		योग-	686	90051
10-रूद्रप्रयाग	1	अगरत्यूमुनी	159	19986
	2	जखोली	108	13862
	3	ऊखीमठ	69	8970

FCD-IRFC/1/2023-FCD-Finance Department

1/126576/2023

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आवद्ध अनुदान (Tied Grant) की द्वितीय किस्त हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
		योग-	336	42818
11-टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	118	8795
	2	कीर्तिनगर	97	10088
	3	चम्बा	104	8916
	4	देवप्रयाग	104	8876
	5	भिलंगना	182	19138
	6	थौलधार	93	9270
	7	जौनपुर	146	12625
	8	प्रतापनगर	98	10765
	9	जाखणीधार	92	9723
		योग-	1034	98196
12-ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	64	16683
	2	सितारगंज	74	17443
	3	रुद्रपुर	42	10501
	4	गदरपुर	52	13045
	5	बाजपुर	58	13617
	6	काशीपुर	33	8316
	7	जसपुर	52	12462
		योग-	375	92067
13-उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	84	10520
	2	डुण्डा	100	10947
	3	चिन्यालीसैण	81	8467
	4	नौगाँव	131	13588
	5	पुरोला	43	4795
	6	मोरी	68	8269
		योग-	507	56586
		महायोग :-	7756	987700

(रुआदतानबे करोड़ सतहत्तर लाख मात्र)

Signed by Ahmed Iqbal

Date: 31-05-2023 16:17:16

अपर सचिव, वित्त।